**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 126 सन 2019

अनवान :–

1. रविप्रकाश पुत्र नरेश कुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

**बनाम**

1. नरेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2. सावित्री पत्नी नरेश कुमार जाति जाट साकिन फैफाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

**प्रतिवादीगण**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।**

उपस्थित : श्रीनरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

**निर्णय दिनांक :– 15.02.2019**

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 4 केएनएन के खाता संख्या 32/35 ,36 की कुल 15.1770हैक भूमि जिसके पूर्व में वादी के दादा बनवारीलाल पुत्र रावताराम खातेदार काश्तकार थे।

वादी के दादा बनवारीलाल के देहान्त होने के बाद उनके पुत्रों पर औद हुई जिन्होने खाता विभाजन करवाने पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा चक 4 केएनएन के खाता संख्या 32/35 ,36 की कुल 15.1770हैक भूमि आई विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसका बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय मे उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एव प्रतिवीद संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के

....2.....पर

वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि को उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 केएनएन खाता संख्या 32/36 की कुल 15.1770हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में वादी अकेला 1/9 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

( उपखण्ड अधिकारी राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

....2.....पर